

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या
12/30/2019

प्रवेश तिथि
29-03-2019

निर्णय दिनांक
22-10-2019

01- जयसिंह पुत्र श्री छगन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खेड़ा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

01- तहसीलदार बानसूर जिला अलवर

—रेस्पौडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार बानसूर
दिनांक 25.02.2019 अन्तर्गत धारा 91 भू0
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 450/2019

उपस्थित:-

01-श्री अनिल गुप्ता

—वकील अपीलान्ट

—निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 25.02.2019 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम खेड़ा की सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 2870 रकबा 2.09 में से 0.75 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्जे सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम खेड़ा की सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 2870 रकबा 2.09 में से 0.75 है0 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 04.02.2019 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलान्ट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलान्ट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट तहसीलदार बानसूर द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 09.05.2019 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22-10-19
(भगवत सिंह देवल)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)